



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3345 वर्ष 2026

रवि कुमार

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सौरभ कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार पाण्डेय और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
2. रिट याची का मामला यह है कि उसे वर्ष नवंबर, 2021 में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथापि, रिट याची के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 5, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) द्वारा 19.05.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि रिट याची 28.04.2025 से बिना अवकाश के अनुपस्थित था, रिट याची ने 23.05.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया तत्पश्चात एक अनुस्मारक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका रिट याची द्वारा 26.06.2025 को उत्तर दिया गया, रिट याची 30.08.2025 को बी. एल. ओ. के रूप में नियुक्त होने का दावा करता है, तथापि, रिट याची के अनुसार, उसे मई, 2025 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थीगण को दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे के लिए प्रथमतः द्वितीय प्रत्यर्थी, जिला पंचायती राज अधिकारी (डी. पी. आर. ओ.), जिला आजमगढ़ द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।
5. ऐसे निवेदन पर, याची के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षकारों के निवेदनों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याची को द्वितीय प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जा रही है, जो इसे दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से याची के दावे का निर्णय करने की कार्यवाही करेगा। यदि द्वितीय प्रत्यर्थी की यह राय है कि मामले का निर्णय किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।
7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थीगण से कोई उत्तर मांगे बिना रिट याचिका का निर्णय किया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किया है।
8. पूर्वोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

11 मार्च, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।